GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 15] No. 15 | दिल्ली, अप्रैल 15--अप्रैल 21, 2011, बृहस्पतिवार/चैत्र 25-वैशाख 01, 1933 DELHI, APRIL 15-APRIL 21, 2011, THURSDAY/CHAITRA 25-VAISAKHA 01, 1933 [स.स.स.क्षेदि, सं 9, 11, 14]

[N.C.T.D. No. 9, 11, 14]

भाग---IV PART-IV

भाग-। में सम्मिलत अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली. 1 अप्रैल. 2011

सं फा, 10 (1741)/मृ. स.(मुख्या,)/स.शू./11312,—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मैग्नम एमआई स्टील प्रा. लि., एस-397, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110 048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 24,75,04,720 मूल्य के इंक्विटी शेयरों जिनकी प्रथक संख्या 49,77,816 से 76,58,178 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,47,505 (रुपये दो लाख सैंतालीस हजार पाँच सौ पाँच) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 1st April, 2011

F. No. 10(1741)/COS(HQ)/Cons. Duty/11312.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Magnum MI Steel Pvt. Ltd., S-397, Greater Kailash-II, New Delhi-110 048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,47,505 (Rs. Two Lac Forty Seven Thousand Five Hundred Five) only on the aggregate value of shares of ₹24,75,04,720 for equity share certificates with distinctive Nos. 49,77,816 to 76,58,178 to be issued by the said company.

दिल्ली, 4 अप्रैल, 2011

सं. फा. 10 (1732)/मु, स.(मुख्या.)/स.शु./11313.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री बीएचपी खनिज अन्वेषण प्रा. लि., आठवीं मंजिल, टावर 1, जीवन भारती भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110 001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 27,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,00,003 से 5,70,002 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,700 (रुपये दो हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 4th April, 2011

F. No. 10(1732)/COS(HQ)/Cons. Duty/11313.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. BHP Khanij Anveshana Private Limited, 8th Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Parliament Street, Connaught Place, New Delhi-110 001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,700 (Rs. Two Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 27,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 3,00,003 to 5,70,002 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1734)/मु. स.(मुख्या.)/स.शू./11314.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एटीसी टावर कम्पनी ऑफ इण्डिया प्रा. लि., एस-2, लेवल, ऊपरी भू-तल, ब्लॉक-एफ, इण्टरनेशनल ट्रेड टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,68,50,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 11,65,73,507 से 12,12,58,506 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1734)/COS(HQ)/Cons. Duty/11314.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ATC

Tower Company of India Private Limited, S-2, Level, 1 pper Ground Floor, Block F, International Trade Tower, 1 ehru Place, New Delhi-110 019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 46,850 (Rs. Forty Six Thousand Eight Hundred Fifty) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,68,50,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 11,65,73,507 to 12,12,58,506 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1745)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./11315.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ऑकित लिजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी लि., देविका टावर 6, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 9,88,871 से 29,88,870 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 20,000 (रुपये बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1745)/COS(HQ)/Cons. Duty/11315.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ankit Leasing and Finance Company Limited, Devika Tower 6, Nehru Place, New Delhi-110 019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 20,000 (Rs. Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 9,88,871 to 29,88,870 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1744)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./11316.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री स्वर्णा प्रगति हाऊसिंग माइक्रोफाइनेंस प्रा. लि., 801-807, टॉल्सटॉय हाऊस, 15, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली-110 001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 20,10,001 से 40,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 20,000 (रुपये बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1744)/COS(HQ)/Cons. Duty/11316.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India,

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Swarna Pragati Housing Microfinance Private Limited, 801—807, Tolstoy House, 15, Tolstoy Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 20,000 (Rs. Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 2,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 20,10,001 to 40,10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1731)/मु, स.(मुख्या.)/स.शु./11340.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ए.पी.आइ.एस. इण्डिया लि., 18/32, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,20,74,580 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 13,02,619 से 55,10,076 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 42,075 (रुपये बयालीस हजार पिच्चहतर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1731)/COS(HQ)/Cons. Duty/11340.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. APIS India Limited, 18/32, East Patel Nagar, New Delhi-110008 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 42,075 (Rs. Forty Two Thousand Seventy Five) only on the aggregate value of shares of ₹ 4,20,74,580 for equity share certificates with distinctive Nos. 13,02,619 to 55,10,076 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (1747)/मु, स.(मुख्या.)/स.शु./11341-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पंजाब नेशनल बैंक, 7, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,84,00,00,144 मूल्य के इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 31,53,02,501 से 31,68,12,157 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 18,40,001 (रुपये अठ्ठारह लाख चालीस हजार एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1747)/COS(HQ)/Cons. Duty/11341.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-

section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab National Bank, 7 Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 18,40,001 (Rs. Eighteen Lac Forty Thousand One) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,84,00,00,144 for equity share certificates with distinctive Nos. 31,53,02,501 to 31,68,12,157 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1746)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./11342.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नेटएम्बिट इन्फोसोर्स एण्ड इ-सर्विसेज प्रा. लि., भू-तल, बी-1/5ए, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 25,00,00,006 मूल्य के इक्विटी शेयरें जिनकी पृथक संख्या 29,817, से 33,999 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,50,001 (रुपये दो लाख पचास हजार एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1746)/COS(HQ)/Cons. Duty/11342.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Netambit Infosource and E-Services Private Limited, Ground Floor, B-1/5A, Janakpuri, New Delhi-110058 shall pay a consolidated stamp duty of ₹2,50,001 (Rs. Two lac Fifty Thousand One) only on the aggregate value of shares of ₹25,00,00,006 for equity share certificates with distinctive Nos. 29,817 to 33,999 to be issued by the said company.

दिल्ली, 8 अप्रैल, 2011

सं. फा. 10 (1711)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./11549.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एक्सा असिस्टेंस इण्डिया प्रा. लि., 112, जोर बाग, नई दिल्ली-110003 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,35,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 13,60,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 13,500 (रुपये तेरह हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 8th April, 2011

F. No. 10(1711)/COS(HQ)/Cons. Duty/11549.—In

exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India,

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Axa Assistance India (P) Ltd., 112, Jor Bagh, New Delhi-110003 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 13,500 (Rs. Thirteen Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,35,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 13,60,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 13 अप्रैल, 2011

सं फा, 10 (1771)/मु. स.(मुख्या,)/स.शू./11671.-गृह

मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पैरामाउन्ट सर्जिमेड लि., प्लॉट नं. 1, एल. एस.सी. ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 40,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 96,00,001 से 1,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,000 (रुपये चार हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 13th April, 2011 F. No. 10(1771)/COS(HQ)/Cons. Duty/11671—In

exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Paramount Surgimed Limited, Plot No. 1, L.S.C. Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 4,000 (Rs. Four Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 40,,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 96,00,001 to 1,00,00,000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (1769)/मु. स.(मुख्या.)/स.शू./11672.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वेसले कलोवर कम्युनिकेशन सोल्युशनस प्रा. लि., चौथी मंजिल, रेक्टेंग्ल नं. 1, मैरियोट होटल के पीछे, साकेत कमर्शियल कॉम्पलेक्स, डी-4, साकेत, नई दिल्ली-110017 जारी किए जाने वाले ₹ 90,11,640 मूल्य के इक्विटी शेयरों ि की पृथक संख्या 23,93,565 से 32,94,728 है, पर लगने वाले ुदांक शुल्क ₹ 9,012 (रुपये नौ हजार बारह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(1769)/COS(HQ)/Cons. Duty/11672.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wesley Clover Communication Solutions Pvt. Ltd., 4th Floor, Rectangle No. 1, Behind Marriot Hotel, Saket Commercial Complex, D-4, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 9,012 (Rs. Nine Thousand Twelve) only on the aggregate value of shares of ₹ 90,11,640 for equity share certificates with distinctive Nos. 23,93,565 to 32,94,728 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1660)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./11673.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री थ्री सी टाऊन प्लानर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,00 (रुपए एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1660)/COS(HQ)/Cons. Duty/11673.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Town Planners Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-1, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred only) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (1765)/पु. स.(मुख्या.)/स.शु./11674.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अंकित लिजिंग एण्ड फाइनेंस कम्पनी लि., बेसमेन्ट, देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 90,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 29,88,871 से 38,88,870 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 9,000 (रुपये नौ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1765)/COS(HQ)/Cons. Duty/11674.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ankit Leasing and Finance Company Limited, Basement, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of ₹9,000 (Rs. Nine Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹90,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 29,88,871 to 38,88,870 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (1758)/मु. स.(मुख्या.)/स.शूं/11675.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इरिक्सन इण्डिया ग्लोबल सर्विसिज प्रा. लि., चौथी मंजिल, ढाका हाऊस, 18/17 डब्ल्यूईए, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 38,85,30,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1 से 3,88,53,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 3,88,530 (रूपये तीन लाख अठ्ठासी हजार पाँच सौ तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1758)/COS(HQ)/Cons. Duty/11675.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Ericsson India Gobal Services Pvt. Ltd., 4th Floor, Dhaka House, 18/17 WEA, Karol Bagh, New Delhi-110005 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3,88,530 (Rs. Three Lakh Eighty Eight Thousand Five Hundred Thirty) only on the aggregate value of shares of ₹ 38,85,30,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 1 to 3,88,53,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 15 अप्रैल, 2011

सं **फा. 16 (1742)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु**/11717.-गृह मंत्रालय, **भारत सरकार की अधिसू**चना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजधानी क्षेत्र, प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नेटएम्बिट इन्फोसोर्स एण्ड इ-सर्विसेज प्रा. लि., भू-तल, बी-1/5ए, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 15,00,00,110 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या पी-1,00,40,001 से 1,00,65,100 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,50,001 (रुपये एक लाख पचास हजार एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 15th April, 2011

F. No. 10(1742)/COS(HQ)/Cons. Duty/11717.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Netambit Infosource and E-Services Private Limited, Ground Floor, B-1/5A, Janakpuri, New Delhi-110058 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,50,001 (Rs. One Lac Fifty Thousand One) only on the aggregate value of shares of ₹ 15,00,00,110 for Preference Share certificates with distinctive Nos. P-1,00,40,001 to 1,00,65,100 to be issued by the said company.

दिल्ली, 18 अप्रैल, 2011

सं. फा. 10 (1689)/मु. स.(मुख्या.)/स.शू./11825.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्रेनाइट डवलपर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश ए-कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 18th April, 2011

F. No. 10(1689)/COS(HQ)/Cons. Duty/11825.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Granite Developers Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

1398 DG/11-2

सं फा. 10 (1663)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./11826.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (क्) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्ष्य, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री थ्री सी इस्टेट्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एनकलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1663)/COS(HQ)/Cons. Duty/11826.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Estates Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1688)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./11828. —गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्रेनाइट इस्टेट्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1688)/COS(HQ)/Cons. Duty/11828.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Granite Estates Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 the issued by the said company.

सं. फा. 10 (1) भु. स.(मुख्या.)/स.शू./11830.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 असे साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री थ्री सी किमिशियल कॉम्पलेक्सिज प्रा. लि.,, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा कए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1652)/COS(HQ)/Cons. Duty/11830.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Commercial Complexes Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1655)/मु, स(मुख्या.)/स.शु./11831.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री थ्री सी रिजॉर्ट्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एकलेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1655)/COS(HQ)/Cons. Duty/11831.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Resorts Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1687)/मु, स.(मुख्या.)/स.शु./11832.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनयम. 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मेरिटोन इन्फ्राडवलपर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1687)/COS(HQ)/Cons. Duty/11832.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Meriton Infradevelopers Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred only) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity share bearing distinctive Nos, 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1690)/मु. स.(मुख्या.)/स.शू./11833.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्रेनाइट हिल प्रोपर्टीज प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1690)/COS(HQ)/Cons. Duty/11833.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Granite Hill Properties Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-1 10048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred only) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity share bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (1653)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./11834.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री थ्री सी होम्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश

एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1653)/COS(HQ)/Cons. Duty/11834.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Homes Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred only) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity share bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1657)/मु, स(मुख्या.)/स.शु/11835.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री थ्री सी सुपरस्ट्रक्चर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1657)/COS(HQ)/Cons. Duty/11835.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Superstructures Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred only) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity share bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (1691)/मु, स.(मुख्या.)/स.शु./11836.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनयम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री मेरिटोन इस्टेट्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव, पार्ट-I, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1691)/COS(HQ)/Cons. Duty/11836.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Meriton Estates Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred only) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity share bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1664)/मु. स.(मुख्या.)/स.णू./11837.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री थ्री सी रियल्टर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश ए-कलेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1664)/COS(HQ)/Cons. Duty/11837.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Realtors Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred only) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of equity share bearing distinctive Nos. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 20 अप्रैल, 2011

सं फा. 10 (1766)/मु स(मुख्या.)/स.शु./11894.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री विनोवा टेक्नोलॉजी प्रा. लि., बंगला प्लॉट नं.-6, पांडव नगर, मदर डेयरी के सामने, दिल्ली-110092, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 9,99,992 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,21,053 से 2,22,258 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 20th April, 2011

F. No. 10 (1766)/COS(HQ)/Cons. Duty/11894. n exercise of the powers conferred by clause (b) of ¬absection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Vienova Technology Pvt. Ltd., Bunglow Plot No. 6, Pandav Nagar, Opp. Mother Dairy, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,000 (Rs. One Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 9,99,992 for equity share certificates with distinctive Nos. 2,21,053 to 2,22,258 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1727)/मु, स(मुख्या.)/स.शु./11895.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री फिलिप मोरिस इण्डिया प्रा. लि., आठवीं मंजिल, डीएलएफ सेन्टर, ब्लॉक नं. 124, नरेन्दर प्लेस, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 4,58,11,169 से 4,60,11,168 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,000 (रुपये दो हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1727)/COS(HQ)/Cons. Duty/11895.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Philip Morris India Private Limited, 8th Floor, DLF Centre, Block No. 124, Narender Place, Parliament Street, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 2,000 (Rs. Two Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 20,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 4,58,11,169 to 4,60,11,168 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1730)/मु. स.(मुख्या.)/स.शू./11896.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ईएसके इण्डिया कॉमर्स एण्ड ट्रेड प्रा. लि., चौथी मंजिल, रेक्टेंगल नं. 1, मैरियोट होटल के पीछे, साकेत कमिशयल कॉम्पलंक्स, डी-4, साकेत, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,20,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 64,70,001 से 1,06,70,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क का भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (1730)/COS(HQ)/Cons. Duty/11896.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. ESK India Commerce and Trade Private Limited, 4th Floor, Rectangle No.1, Behind Marriot Hotel, Saket Commercial Complex, D-4, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 42,000 (Rs. Forty Two Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹4,20,00,000 for issue of Equity Share certificates with distinctive Nos. 64,70,001 to 1,06,70,000 to be issued by the said company.

सं फा. 10 (1770)/मु. स. (मुख्या.)/स.शू./11897.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सीएल एज्केट लि., आर-90, पहली मंजिल, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 13,72,49,000 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0000001 से 06.86.245 है. पर लगने वाले मद्रांक शल्क ₹ 1.37.249 (रुपये एक लाख सैंतिस हजार दो सौ उन्नचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से, आर. के. मिश्रा. विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F. No. 10 (1770)/COS(HO)/Cons. Duty/11897.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. CL Educate Limited, R-90, First Floor, Greater Kailash, Part-I, New Delhi-110048 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,37,249 (Rs. One Lakh Thirty Seven Thousand Two Hundred Forty Nine) only on the aggregate value of shares of ₹ 13,72,49,000 for preference Share Certificates with distinctive No. 0000001 to 06,86,245 to be issued by the said company.

> By Order of Chief Controlling Revenue Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi, R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)

(सहकारिता विभाग) सहकारी समितियों के पंजीयक का कार्यालय

अधिसुचना

दिल्ली, 18 अप्रैल, 2011

संख्या फा. 47/456/गृह आवास/उत्तर पश्चिम/836,---दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम-3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, बामसेफ सहकारी गृह आवास समिति (456/स.आ.) धारा 37 (1) (ख) दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम-3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं, तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्य काल की अवधि दिनांक 30-6-2011 अथवा समिति में प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहाल होने तक जो भी पहले हो तक बढाई जाती है।

> दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर,

> > वी. के. बैनीवाल, विशेष सचिव (सहकारिता)

DEPARTMENT OF COOPERATIVE (OFFICE OF THE REGISTRAR COOP. SOCIETIES) **NOTIFICATION**

Delhi, the 18th April, 2011

No. F. 47/456/GH/NW/836.—In exercise of powers conferred by Section 127 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby exempts the Bamcef Cooperative Group Housing Society Ltd. (456/GH) from the provisions of Section 37 (1)(b) of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004) and accordingly extend the period of supersession of the managing committee and the term of the Administrator of the said society upto 30-06-2011 or till the democratic setup of the society is restored whichever earlier.

> By Order and in the Name of The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

V. K. BENIWAL, Spl. Registrar (Coop. Societies)